समक्ष ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे।

एलआरएस और अन्य के माध्यम से बृज लाल—*याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य—*उत्तरदाता*

1999 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6392

नवम्बर 17/2020

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-पंजाब भूमि कार्यकाल की सुरक्षा अधिनियम, 1953-हरियाणा भूमि जोत की सीमा अधिनियम, 1972- धारा 18(6)- याचिकाकर्ताओं, जो बड़े भूस्वामी के बेटे हैं, ने वित्तीय आयुक्त के आदेशों को चुनौती दी, जिसमें नए निर्णय के लिए मामले को कलेक्टर, अधिशेष क्षेत्र को भेज दिया गया था—वित्तीय आयुक्त ने 1972 के अधिनियम की धारा 18 (6) के तहत उपरोक्त आदेश पारित किए थे, अधिशेष क्षेत्र के मुद्दे पर 16 साल और 24 साल पहले बड़े भूस्वामी से संबंधित भूमि से संबंधित दो अलग-अलग कार्यवाही में निर्णय लिया गया था, बड़े भूस्वामी के बेटों द्वारा पेश किए गए अलग-अलग आवेदनों पर—मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 1972 अधिनियम की धारा 18 (6) में नियोजित "किसी भी समय" शब्द का अर्थ धोखाधड़ी की अनुपस्थिति में उचित समय है—उच्च न्यायालय ने सहायक कलेक्टर के आदेश को बहाल कर दिया, इस आशय के लिए कि बड़े भूस्वामी के बेटों के हाथों में भूमि स्वीकार्य सीमा के भीतर थी, और इसलिए वे किरायेदारों को बेदखल करने के हकदार थे—रिट याचिका की अनुमति दी गई।

निर्धारित किया गया, कि उपर्युक्त के मद्देनजर, कानून के स्थापित प्रस्ताव, इसलिए, यह बताने के लिए चुना जा सकता है कि धारा 18 (6) के तहत शक्ति वित्तीय आयुक्त को प्रदान की गई है यद्यपि ऐसी शक्ति के प्रयोग की अवधि के संबंध में किसी सीमा द्वारा शासित नहीं है, लेकिन इसे न तो निरंकुश कहा जा सकता है और न ही बिना किसी बाधा के कहा जा सकता है क्योंकि वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश को विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसी शक्तियों के प्रयोग को प्रतिबिंबित और उचित ठहराना चाहिए। ऐसे मामले में, जहां किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने की तारीख से लंबी अवधि के अंतराल के बाद वित्तीय आयुक्त द्वारा शक्ति का प्रयोग करने का इरादा है, न केवल क्षेत्राधिकार या योग्यता के पहलू पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग

करने के कारण दिए जाएं, बल्कि समय के व्यपगत पहलू पर, इसके प्रभाव/परिणाम और इसकी अनदेखी/अनदेखी क्यों की जा रही है, इस पर विचार करने और आदेश में परिलक्षित करने की आवश्यकता है, खासकर तब जब निजी पार्टियों के अधिकार शामिल हों। हालांकि, उन मामलों के संबंध में, जहां धोखाधड़ी अदालत में खेली गई है और वित्तीय आयुक्त द्वारा उस प्रभाव का निष्कर्ष दर्ज किया गया है, वहां कोई सीमा नहीं होगी।

(पैरा 23)

आगे निर्धारित किया गया, यह कि इन आदेशों के संबंध में पहलू उनके पक्ष में पारित किया गया था, जैसा कि स्पष्ट है कि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उक्त घोषणा के अनुसरण में है, जिसमें उन्हें छोटे भूस्वामी के रूप में रखा गया है कि फॉर्म K-1 में निजी उत्तरदाताओं के खिलाफ निष्कासन याचिका को प्राथमिकता दी गई थी. निजी उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं को छोटे भूस्वामी घोषित करने वाले उक्त आदेशों को चुनौती देने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए थे, जो उनके द्वारा नहीं किया गया था। 22.01.1992 को कलेक्टर, सिरसा द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद 16.10.1992 को बलबीर सिंह-प्रतिवादी की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने का आदेश पारित करने के बाद ही आयुक्त ने 28.08.1991 को सहायक कलेक्टर प्रथम ग्रेड, डबवाली द्वारा पारित निष्कासन के आदेश को चुनौती दी थी और 08.04.1993 को 1992-93 के आरओआर नंबर 381 को एक संशोधन यानी 1992-93 के आरओआर नंबर 381 को प्राथमिकता दी गई थी उपरोक्त संदर्भित पुनरीक्षण याचिकाएं दायर करके।

(पैरा 28)

आगे निर्धारित किया गया, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश बहुत अधिक अपील योग्य थे और यहां तक कि उन आदेशों के खिलाफ संशोधन भी बनाए रखने योग्य थे, लेकिन निजी उत्तरदाताओं ने उक्त आदेशों को चुनौती नहीं देना पसंद किया। यह देर से ही सही समय पर है और वह भी तब जब उन्होंने पाया कि सितम्बर, 1991 में निष्पादन की कार्यवाही में वे पहले ही कब्जा खो चुके हैं, दिनांक 15-07-1969 और 20-07-1997 के आदेशों को चुनौती देने का सहारा लिया गया है. यह अपने आप में निजी उत्तरदाताओं के आचरण के संबंध में संदेह पैदा करता है। विद्वान वित्तीय आयुक्त ने इस पहलू पर विचार नहीं किया है और न ही इस तरह के असाधारण देरी के बाद 1972 अधिनियम की धारा 18 (6) के तहत प्रदत्त इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए किसी असाधारण स्थिति की ओर इशारा किया है।

(पैरा 29)

आगे निर्धारित किया गया, रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं आया है, जो इंगित करेगा कि याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट, 1972 की धारा 9 के तहत दिनांक 16.08.1976 को आवेदन दायर करते समय शुरू में अशुद्ध हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाया है. वित्तीय आयुक्त ने दिनांक 12-09-1997 और 10-03-1999 (अनुबंध पी-15 और पी-19) के आक्षेपित आदेशों को पारित करते समय इस आशय का कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं निकाला गया है जिससे यह पता चले कि तथ्यों को छिपाया गया है या इस विलम्बित चरण में वित्तीय आयुक्त की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए राज्य के साथ धोखाधड़ी की गई है।

(पैरा 30)

आगे निर्धारित किया गया, कि उपर्युक्त के आलोक में, विशेष रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, मुझे वित्तीय आयुक्त की ओर से 1972 के अधिनियम की धारा 18(6) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं लगता है, जिसमें इस विलम्बित चरण में दिनांक 15.07.1969 और 20.07.1977 के आदेशों को रद्द कर दिया गया है.

(पैरा 31)

आगे निर्धारित किया गया इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि दिनांक 15.07.1969 और 20.07.1977 के आदेशों को वित्तीय आयुक्त द्वारा गलत तरीके से रद्द कर दिया गया है, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के पास उनके पक्ष में इस आशय के आदेश हैं कि उनकी भूमि जोत अनुमेय सीमा के भीतर आती है और इसलिए, वे बड़े भूस्वामी नहीं हैं. यदि ऐसा है, तो सहायक कलेक्टर प्रथम ग्रेड, डबवाली द्वारा पारित बेदखली का आदेश, दिनांक 28.08.1991 (अनुलग्नक पी-12) निजी उत्तरदाताओं को बेदखल करने के लिए फॉर्म के-1 में याचिकाकर्ताओं के आवेदन की अनुमति देने के साथ गलत नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि बलबीर सिंह के दादा श्री बिशन सिंह को पहले ही अधिशेष पूल से 80 *कनाल भूमि आवंटित की गई थी, जिसे सामूहिक रूप से निजी उत्तरदाताओं द्वारा विरासत में मिला है और यह अकेले विचाराधीन भूमि से अधिक है यानी 73* कनाल *6* मरला, जिसका आवंटन वे अधिशेष पूल से करने के हकदार नहीं हैं, जिस आदेश को अपील के साथ-साथ पुनरीक्षण में भी बरकरार रखा गया है, जिसे निजी उत्तरदाताओं द्वारा पसंद किया गया है।

(पैरा 32)

आगे निर्धारित किया गया, कि यहां यह उल्लेख करना असंगत नहीं

होगा कि सहायक कलेक्टर प्रथम ग्रेड, डबवाली, जिला सिरसा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड अधिकारी (सिविल) द्वारा पारित निष्कासन दिनांक 28.08.1991 (अनुलग्नक पी-12) के आदेश, कलेक्टर सिरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.1992, निजी प्रतिवादियों की अपील को खारिज करते हुए और आयुक्त, हिसार डिवीजन, कैंप सिरसा द्वारा पारित दिनांक 16.10.1992 (अनुलग्नक पी-14) के आदेश, निजी उत्तरदाताओं की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए, वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 12.09.1997 और 10.03.1999 के आक्षेपित आदेश द्वारा केवल इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि दिनांक 15.07.1969 (अनुबंध पी-4) के आदेश और दिनांक 20.07.1977 और 09.08.1977 (अनुबंध पी-5 से पी-7) के आदेशों को शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलग रखा गया है 1972 के अधिनियम की धारा 18(6) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है जिसे बिना किसी अधिकार क्षेत्र के पाया गया है।

(पैरा 33)

प्रेम नाथ अग्रवाल, याचिकाकर्ताओं के लिए वकील।

मनीष डडवाल, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा।

एल.एन. वर्मा, निजी उत्तरदाताओं के लिए वकील।

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे।

1. इस आदेश से, मैं एलआरएस और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के माध्यम से बृज लाल ***के*** रूप में शीर्षक ***वाली 1999 की तीन रिट याचिकाओं अर्थात*** *सीडब्ल्यूपी संख्या 6392, 6393, 6394 का निपटान करने का* ***प्रस्ताव करता हूं, जिसमें वित्तीय आयुक्त, हरियाणा द्वारा पारित दिनांक 12.09.1997 के आदेशों और दिनांक 10.03.1999 के आदेश को चुनौती दी गई है*** , जिसके तहत निजी उत्तरदाताओं द्वारा पसंद की गई पुनरीक्षण याचिकाओं की अनुमति दी गई है और मामला कलेक्टर को भेज दिया गया है, सरप्लस एरिया, सिरसा, पट राम-मृतक भूस्वामी और उनके बेटों (यहां याचिकाकर्ताओं) के अधिशेष क्षेत्र के मामलों का नए सिरे से फैसला करने के लिए कि क्या वे अपनी स्वतंत्र क्षमता में बड़े भूस्वामी थे या अब अपने पिता पट राम की मृत्यु के बाद विरासत के बाद बन गए हैं, सभी संबंधित पक्षों को अवसर देकर और उसके बाद पुराने किरायेदारों यानी निजी उत्तरदाताओं के खरीद आवेदन पर फैसला करें।

2. चूंकि सामान्य तथ्य और कानून शामिल हैं, इसलिए तथ्यों को 1999 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6392 से लिया जा रहा है। संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि एक विस्थापित व्यक्ति धनराज के पुत्र पटराम को वर्ष 1949 में तहसील

सिरसा, जिला हिसार, अब तहसील डबवाली, जिला सिरसा में उसके स्वामित्व वाली पैतृक भूमि के बदले में भूमि आवंटित की गई थी, जो अब पाकिस्तान में आती है। उनके छह पुत्रों द्वारा यह घोषणा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था कि वे 390 *बीघा* 1 *बिस्वा* भूमि के अनन्य मालिक हैं, जिसकी डिक्री 18.06.1958 को की गई थी। उक्त डिक्री के आधार पर उनके पक्ष में नामांतरण भी स्वीकृत किया गया था। कलेक्टर, कृषि, अधिशेष क्षेत्र, सिरसा ने दिनांक 26.07.1961 को एक आदेश पारित किया, जिसमें पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट, 1953 (इसके बाद '1953 एक्ट' के रूप में संदर्भित) के तहत गांव सक्ता खेड़ा निवासी पाट राम के हाथों में अधिशेष क्षेत्र के रूप में 63.32 मानक एकड़ का आकलन किया गया। इस आदेश को पट राम ने आयुक्त, अंबाला डिवीजन के समक्ष एक अपील में चुनौती दी थी, जिसे 24.07.1962 को पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर (संशोधन और मान्यकरण) अधिनियम, 1962 के प्रवर्तन के कारण दबाव नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था।

3. ग्राम सक्ता खेड़ा निवासी गुरदित सिंह के पुत्रों बिशन सिंह और दलीप सिंह ने खुद को पाट राम की होल्डिंग के एक हिस्से पर किरायेदार होने का दावा करते हुए, कलेक्टर, अधिशेष क्षेत्र, सिरसा के दिनांक 26.07.1961 के आदेश को चुनौती देते हुए दो अपील दायर की, जिसमें उनके कब्जे में जमीन की खरीद के अधिकार का दावा किया गया। इन अपीलों को आयुक्त, अंबाला डिवीजन, अंबाला कैंट द्वारा स्वीकार किया गया था। दिनांक 19.01.1966 (अनुलग्नक पी-3) के आदेश के तहत इस दलील पर कि पटराम के अधिशेष क्षेत्र को उन्हें बिना किसी नोटिस के घोषित किया गया है और अपीलकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के बाद पट राम के साथ अधिशेष क्षेत्र के पुनर्मूल्यांकन के लिए मामला कलेक्टर को वापस भेज दिया गया था। इससे पाट राम के अधिशेष क्षेत्र के पुनर्मूल्यांकन का मामला खुल गया।

4. हिसार में कैंप हरियाणा के विशेष कलेक्टर, ने 15.07.1969 को इस मामले को उठाया, जब किरायेदारों बिशन सिंह और दलीप सिंह ने खुलासा किया कि पैट राम की मृत्यु 07.02.1966 को हो गई थी, जिसके बाद सोहन लाल, बृजलाल, हजारी लाल, अमी राम, धोंकल राम और शंकर लाल नामक छह बेटे पीछे रह गए थे और इसलिए, स्थिति बदल गई है और पात राम के वारिसों के खिलाफ नए सिरे से कार्यवाही की जानी है, सिवाय उस क्षेत्र के जो अधिशेष घोषित किया गया है उपयोग किया जा रहा है। कार्यवाही दायर की गई और कलेक्टर, कृषि, सिरसा से अनुरोध किया गया कि वे मृतक पतराम के वारिसों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करें ताकि उनकी स्थिति और अधिशेष क्षेत्र, यदि कोई हो, उनके साथ निर्धारित किया जा सके। यह

आदेश अंतिम रूप से प्राप्त हुआ क्योंकि प्रतिवादी-किरायेदारों या राज्य सरकार द्वारा कोई अपील या पुनरीक्षण दायर नहीं किया गया था।

5. विशेष कलेक्टर, हरियाणा, हिसार कैंप द्वारा पारित दिनांक 15.07.1969 (अनुलग्नक पी -4) के आदेश के अनुपालन में 1953 अधिनियम के तहत पट राम के उत्तराधिकारियों की कोई फाइल तैयार नहीं की गई थी, और 23.12.1972 को उक्त अधिनियम के तहत कोई मामला लंबित नहीं था, जब हरियाणा सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 (इसके बाद '1972 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) था, लागू हुआ। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि चूंकि भूमि पर पटराम या उनके बेटों के अधिशेष क्षेत्र की घोषणा का कोई मौजूदा, अंतिम और ऑपरेटिव आदेश नहीं था, इसलिए 1972 अधिनियम के तहत हरियाणा राज्य में कोई भूमि निहित नहीं थी।

6. पतराम के सभी छह बेटों ने 1972 के अधिनियम की धारा 9 के तहत दिनांक 16.08.1976 को अपना घोषणा पत्र दाखिल किया। उपखण्ड अधिकारी (सिविल), डबवाली ने स्वर्गीय श्री पतराम के तीन पुत्रों सोहन लाल, बृजलाल और हजारी लाल द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर दिनांक 20.07.1977 को अलग-अलग आदेश पारित किए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 1972 के अधिनियम के तहत कोई अधिशेष क्षेत्र नहीं पाया गया था। तथापि, यह उल्लेख किया गया था कि यदि आवेदकों के कब्जे वाली भूमि में से कोई भूमि 1953 के अधिनियम के अंतर्गत अधिशेष पाई जाती है तो उसे प्रभावित नहीं किया जाएगा और उस अधिशेष भूमि का उपयोग कानून के अनुसार किया जाएगा। सोहन लाल, बृजलाल और हजारी लाल के ये आदेश क्रमशः 20.07.1977 (अनुबंध पी-5 से पी-7), धोंकल राम के तहत दिनांक 09.08.1977 (अनुबंध पी-8) और दिनांक 27.04.1995 के आदेश (अनुबंध पी-9 और पी-10) क्रमशः पैट राम के पुत्र अमी लाल और शंकर लाल हैं।

7. दिनांक 08.08.1967 को पटराम के पुत्रों सोहन लाल व अन्य ने 1953 के अधिनियम के अंतर्गत फार्म के-1 में किरायेदार दलीप सिंह पुत्र गुरदित सिंह को बेदखल करने के लिए आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान, दलीप सिंह ने 06.12.1967 को सहायक कलेक्टर प्रथम ग्रेड, सिरसा के समक्ष एक बयान दिया कि आवेदक छोटे भूस्वामी थे और उन्हें विचाराधीन भूमि से बेदखल करने में कोई आपत्ति नहीं थी और वह कोई मुआवजा नहीं चाहते थे।

8. एक अन्य आवेदन पाट राम के कानूनी उत्तराधिकारियों यानी बृजलाल और अन्य द्वारा फॉर्म के-1 में बलबीर सिंह पुत्र करतार सिंह और अन्य के खिलाफ दायर किया गया था, जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया था।

अंततः 28.08.1991 (अनुबंध पी-12) को इसका निर्णय लिया गया, जिसमें अभिलेखों का आकलन करने के बाद यह माना गया कि याचिकाकर्ता, जो प्राधिकरण के समक्ष आवेदक थे, छोटे भूस्वामी हैं और इस प्रकार, 1953 के अधिनियम की धारा 9 के तहत किरायेदारों को बेदखल करने के हकदार हैं। यह भी उल्लेख किया गया था कि बिशन सिंह, पिता, जो बलबीर सिंह और अन्य के पूर्ववर्ती-हित थे, को पहले ही अधिशेष पूल से 80 *कनाल* भूमि आवंटित की गई थी, जो सामूहिक रूप से उन्हें विरासत में मिली थी और इसलिए, वे अधिशेष पूल के तहत आगे की भूमि के आवंटन के हकदार नहीं थे। इस आदेश को कलेक्टर, सिरसा के समक्ष चुनौती दी गई, जिन्होंने 22.01.1992 (अनुलग्नक पी - 13) को अपील को खारिज कर दिया, हालांकि, इससे पहले, निष्पादन कार्यवाही में, 73 *कनाल,* 6 *मरला* (विचाराधीन भूमि) का वास्तविक कब्जा बृजलाल आदि द्वारा सितंबर 1991 में लिया गया था। बलबीर सिंह आदि द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका, किरायेदारों को भी 16.10.1992 (अनुलग्नक पी -14) को खारिज कर दिया गया था, जिससे वित्तीय आयुक्त के समक्ष दूसरा संशोधन दायर किया गया था अर्थात 08.04.1993 को 1992-93 का आरओआर नंबर 381।

9. इस पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान, एसडीओ (सिविल)-सह-निर्धारित प्राधिकारी, डबवाली द्वारा दिनांक 20.07.1977 के आदेश के पारित होने के लगभग 16 वर्षों के बाद, सोहन लाल, बृजलाल और हजारी लाल को किसी भी अधिशेष क्षेत्र के कब्जे में नहीं घोषित किया गया और साथ ही धोंकल राम से संबंधित दिनांक 09.08.1977 के आदेश के साथ, इन आदेशों को चुनौती देने वाली वित्तीय आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका अर्थात 1992-93 का आरओआर संख्या 398 दायर किया गया। बलबीर सिंह और अन्य द्वारा 29.06.1993 को वित्तीय आयुक्त अर्थात 1992-93 का आरओआर संख्या 528 के समक्ष एक और पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जिसमें विशेष कलेक्टर, हरियाणा, हिसार कैंप के दिनांक 15.07.1969 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी मृत्यु पर भूस्वामी पाट राम के अधिशेष क्षेत्र के मामले को रिकॉर्ड में रखा गया था और कलेक्टर, कृषि, सिरसा को पटराम के उत्तराधिकारियों के खिलाफ नए सिरे से कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था। जो आदेश गुरदित सिंह के पुत्र बिशन सिंह और दलीप सिंह की उपस्थिति में पारित किया गया। फिर भी एक और पुनरीक्षण याचिका अर्थात 1992-93 की आरओआर संख्या 596 को दलीप सिंह पुत्र गुरदित सिंह द्वारा 30.07.1993 को पसंद की गई थी, जिसमें दिनांक 20.07.1977 के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें घोषणा की गई थी कि सोहन लाल, बृजलाल और हजारी लाल का कोई अधिशेष क्षेत्र नहीं था। यह लगभग 16 वर्षों की अवधि के बाद था।

10. इन सभी चार पुनरीक्षण याचिकाओं को एक साथ लिया गया और दिनांक 12.09.1997 (अनुबंध पी-15) के एक सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया गया, जिसके तहत वित्तीय आयुक्त, हरियाणा ने 1972 के अधिनियम की धारा 18 (6) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा है कि वह नीचे के न्यायालयों के रिकॉर्ड का अध्ययन करने और यह पता लगाने के लिए उक्त शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे कि पटराम के अधिशेष क्षेत्र के मामले को 1953 के अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था, चाहे तथ्य यह है कि फरवरी 1966 में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा गया था कि श्री पटराम के अधिशेष क्षेत्र के मामले का निर्णय कलेक्टर, अधिशेष क्षेत्र द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.07.1961 द्वारा किया गया था, जिसके खिलाफ अपील को आयुक्त द्वारा 24.07.1962 को खारिज कर दिया गया था, अधिशेष क्षेत्र मामले को पुराने किरायेदारों के इशारे पर फिर से खोल दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि किरायेदारों के अनुमेय क्षेत्र को पट राम के हाथों में अधिशेष क्षेत्र घोषित किया गया है। यह भी माना गया कि हरियाणा के विशेष कलेक्टर ने 15.07.1969 के अपने आदेश को पारित करने में गलती की है जिसमें कहा गया है कि 07.02.1966 को पट राम के निधन के कारण, स्थिति बदल गई थी और मृतक जमींदार के वारिसों के खिलाफ उनकी स्थिति और अधिशेष क्षेत्र के निर्धारण के लिए नए सिरे से कार्यवाही शुरू करनी पड़ी थी। अप्रैल 1995 में तय किए गए पटराम के दो बेटों यानी अमी लाल और शंकर लाल के सरप्लस एरिया मामले के फैसले में देरी का भी उल्लेख किया गया है। यह भी देखा गया कि पट राम और उनके बेटों के अधिशेष क्षेत्र के मामले को पहले 1953 के अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाना था कि क्या वे अपने आप में बड़े भूस्वामी हैं और उसके बाद किरायेदारों को जमीन खरीदने का अधिकार होगा, जो अधिशेष क्षेत्र मामले के बाद निर्धारित किया जाएगा।

11. वित्तीय आयुक्त के इस आदेश को याचिकाकर्ताओं, पट राम के बेटों ने 1997 की सीडब्ल्यूपी संख्या 15538 से 15541 दायर करके चुनौती दी थी, जिसे इस न्यायालय ने 18.11.1997 को समय से पहले खारिज कर दिया था क्योंकि इस बीच याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ निजी उत्तरदाताओं द्वारा दिनांक 12.09.1997 (अनुलग्नक पी-15) के आदेश के खिलाफ एक समीक्षा आवेदन दायर किया गया था। जिसे दिनांक 10.03.1999 (अनुबंध पी-19) के आदेश के तहत निपटाया गया था, जिसमें पहले के आदेश के पैरा 30 में संशोधन किया गया था और पैरा 31 को यह मानते हुए बदल दिया गया था कि पटराम के अधिशेष क्षेत्र के मामले को उनके निधन के कारण नहीं छोड़ा जा सकता है और पटराम के साथ-साथ उनके बेटों के अधिशेष क्षेत्र के मामले को पहले 1953 के अधिनियम के तहत और उसके बाद 1972 के अधिनियम के तहत बेदखली पर

निर्णय लिया जाना चाहिए अनुप्रयोगों।

12. याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय आयुक्त, हरियाणा द्वारा पारित दिनांक 12.09.1997 (अनुलग्नक पी-15) और 10.03.1999 (अनुबंध पी-19) के आदेशों को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर करके फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

13. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिनांक 15.11.2000 के आदेश के तहत 1999 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6392, 6393 और 6394 को खारिज कर दिया, जबकि 1999 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6395 को पक्षकारों यानी याचिकाकर्ताओं और दलीप सिंह-प्रतिवादी के बीच समझौते के मद्देनजर अनुमति दी गई थी। 1999 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6392, 6393 और 6394 में याचिकाकर्ताओं द्वारा पसंद की गई समीक्षा याचिकाओं को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 19.01.2001 को खारिज कर दिया था।

14. इसके कारण याचिकाकर्ताओं यानी बृजलाल आदि द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसे बाद में 2001 की सिविल अपील संख्या 1645-1647 में बदल दिया गया। इन अपीलों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2007 के आदेश द्वारा वित्तीय ***आयुक्त, हरियाणा राज्य और अन्य*** *बनाम* ***श्रीमती केला देवी और अन्य*** *1980 (1) एससीसी 77* के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को भेजते हुए किया गया था, जिसमें 1953 अधिनियम की धारा 10-ए (ए) के साथ-साथ पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर नियम, 1956 के नियम 20-ए, 20-बी, 20-सी और 20-डी पर विचार करने पर, यह माना गया था कि एक पूर्ण शीर्षक आवंटन के आदेश पर आवंटी को पारित नहीं करता है। यदि कानून द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश व्यवहार्य है। यह भी माना गया कि उपरोक्त के आलोक में, अधिशेष क्षेत्र का उपयोग तब तक पूरा नहीं हुआ था जब तक कि विरासत द्वारा कानूनी उत्तराधिकारियों ने अनुमेय क्षेत्र से नीचे के क्षेत्र में अपने क्षेत्र को कम करते हुए अपने अधिशेष क्षेत्र के पुनर्मूल्यांकन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन किया था। एक अन्य पहलू जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश डाला गया था, वह लंबे समय के अंतराल के बाद 1972 के अधिनियम की धारा 18 (6) के तहत वित्तीय आयुक्त द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में था, खासकर जब निजी उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उक्त आदेशों को चुनौती नहीं दी थी, जो उन्हें किसी भी राहत से वंचित कर सकता था, इस न्यायालय द्वारा किस पहलू पर विचार नहीं किया गया है। आगे यह देखा गया कि 1972 के अधिनियम की धारा 18 (6)

में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'किसी भी समय', स्पष्ट रूप से यह उचित समय रहा है और यह न्यायालय की जिम्मेदारी थी कि वह इस बात की जांच करे कि क्या लंबे समय के बाद इसके लिए राहत देना उचित होगा। इन परिस्थितियों में ये रिट याचिकाएं इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए फिर से आई हैं।

15. मैंने उन पक्षों के वकीलों को सुना है, जिन्होंने विभिन्न आदेशों के माध्यम से मुझे लेने में मेरी सहायता की है, जो समय-समय पर नीचे के अधिकारियों के साथ-साथ इस न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं।

16. पक्षकारों के वकीलों द्वारा उठाए गए तर्क उन सभी पहलुओं से संबंधित हैं, जिन्हें रिट याचिकाओं में लिया गया है, लेकिन उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से गुण-दोष के आधार पर इस तथ्य के आलोक में कि इस न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में, दिनांक 20.07.1977 (अनुलग्नक पी-5 से पी-10) के आदेशों के मामले में लगभग 16 वर्षों की अत्यधिक देरी के बाद 1972 अधिनियम की धारा 18 (6) के तहत वित्तीय आयुक्त की शक्तियों के प्रयोग के संबंध में मुद्दा उठाया गया और दिनांक 15.07.1969 के आदेश के मामले में 24 साल (अनुबंध पी-4)।

17. याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस पहलू पर, जो 1972 अधिनियम की धारा 18 (6) के तहत वित्तीय आयुक्त को प्रदत्त असाधारण शक्तियों के अधिकार क्षेत्र और प्रयोग के संबंध में मुद्दे की जड़ तक जाता है, ने जोर देकर कहा कि हालांकि 1972 के अधिनियम की धारा 18 (6) के अवलोकन से पता चलता है कि कानून के तहत *स्वतः संज्ञान* लेने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई हैकिसी भी समय ऐसी कार्यवाही या आदेश की अवैधता या औचित्य के रूप में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उसके अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी की किसी कार्यवाही या आदेश के रिकॉर्ड के लिए कॉल करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब इस तरह के आदेश को अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष वैधानिक उपाय के अनुसार चुनौती नहीं दी गई है, वित्तीय आयुक्त कई वर्षों के अंतराल के बाद इस तरह के संशोधन पर विचार कर सकता है और वह भी तब जब उक्त आदेश को चुनौती देने वाले अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकरण के लिए देरी या पहले के दृष्टिकोण के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जो आदेश संबंधित पार्टी के ज्ञान में था। इस तर्क के समर्थन में, लोकू राम ***बनाम*** *हरियाणा राज्य और अन्य* ***में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया है*** [1] ***(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने***

[1] 1999 (1) पीएलजे 1

हरियाणा राज्य बनाम चंदगी *राम लतूर* ***सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के माध्यम से एक अन्य किताब सिंह (मृत) बनाम एलआर के माध्यम से करम चंद (मृत)***[2] ***और अन्य बनाम बुद्ध राम*** *और अन्य* [3] ***बनाम*** [4]***हरियाणा राज्य और अन्य*** [5] के माध्यम सेजिसमें इस न्यायालय ने मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में माना था कि वित्तीय आयुक्त द्वारा 1972 अधिनियम की धारा 18 (6) के तहत शक्तियों का प्रयोग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं था कि किसी विशेष अवधि को मामले के तथ्यों पर उचित रखने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है और उक्त शक्ति का उपयोग वित्तीय आयुक्त की सनक और कल्पना पर नहीं किया जा सकता है लेकिन इससे अधिक होना चाहिए, सबसे पहले, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने की अवधि और कारणों की व्याख्या करना।

18. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने 1972 अधिनियम की धारा 18 (6) के तहत वित्तीय आयुक्त की शक्तियों के संदर्भ में, स्वीकार किया है कि उक्त शक्तियां वित्तीय आयुक्त को असाधारण स्थिति से निपटने के लिए प्रदान की गई हैं क्योंकि बीमारियों के लिए कठोर उपचार की आवश्यकता है जो अवैधता को कायम रखेगी। शक्ति का प्रयोग विशेष रूप से बड़े भूस्वामियों द्वारा धोखाधड़ी के कमीशन को रोकने के लिए किया जा सकता है और न्याय करने के लिए, देरी की तकनीकी बाधा को धोखाधड़ी के कमीशन को रोकने के रास्ते में खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इन तर्कों के समर्थन में, उन्होंने ***राम निवास और अन्य*** *बनाम हरियाणा राज्य राम प्रताप* [6]***बनाम*** *हरियाणा राज्य* ***में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णयों पर भरोसा किया है***[7]

19. पक्षकारों के वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों के साथ-साथ 1972 अधिनियम की धारा 18 (6) में उल्लिखित वैधानिक प्रावधान पर विचार करने पर, मेरा विचार है कि वर्तमान मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 12.09.1997 और 10.03.1999 के आक्षेपित आदेश में किसी भी असाधारण कारणों का खुलासा नहीं किया गया है, जो इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर आएगा

---

[2] 2014 (1) पीएलजे 406
[3] 2016 (4) आरसीआर (सिविल) 16 (पी एंड एच)
[4] 2016 (4) आरसीआर (सिविल) 557 (पी एंड एच)
[5] 2017 (2) आरसीआर (सिविल) 373 (पी एंड एच)
[6] 2003 (1) पीएलजे 236
[7] 2002 (2) पीएलजे 302

उपर्युक्त आदेशों के पारित होने की तारीख से लगभग 16 वर्ष पूर्व और एक मामले में लगभग 24 वर्षों के बाद पारित आदेशों में हस्तक्षेप करते समय उक्त प्राधिकारी को प्रदत्त असाधारण शक्ति का प्रयोग करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ ही एक मामले में भी अनुरोध किया गया है।

1972 अधिनियम की धारा 18 (6) इस प्रकार है: -

"**18. अपील, समीक्षा और संशोधन।**-

(1 से 5) XXX XXX XXX XXX

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय आयुक्त किसी भी समय स्वतः प्रेरणा से ऐसी कार्यवाहियों या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन के लिए अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी की किसी कार्यवाही या आदेश के अभिलेख की मांग कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

20. उपर्युक्त के अवलोकन से पता चलता है कि यह धारा 18 के अन्य प्रावधानों के बावजूद वित्तीय आयुक्त को दी गई एक असाधारण और असाधारण शक्ति है, जहां उक्त प्राधिकारी किसी भी कार्यवाही या आदेश की अवैधता या औचित्य के संबंध में संतुष्ट होने के उद्देश्य से किसी अधीनस्थ प्राधिकारी की किसी भी कार्यवाही या आदेश के रिकॉर्ड मांग सकता है और उसके बाद उसके संबंध में आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे। यह शक्ति स्पष्ट रूप से, पहले ब्लश पर, निरंकुश प्रतीत होती है और वास्तव में, यह ऐसा प्रदान किया जाता है। तथापि, ऐसी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते समय, ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश में अपवादात्मक कारणों का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है, विशेषकर जब अत्यधिक विलंब हुआ हो। लोकू राम के मामले (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 'किसी भी समय' अभिव्यक्ति का उपयोग करती है, लेकिन यह अनिश्चित काल तक नहीं हो सकती है। इस शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए और उचित समय की अवधि मामले के तथ्यों और आदेश की प्रकृति द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, जिसे संशोधित किया जा रहा है। इस तरह के अवलोकन के लिए, ***गुजरात राज्य*** बनाम ***पी राघव में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले पर भरोसा***

किया गया था[8]

21. चंदगी राम के मामले (सुप्रा) में, जहां 1972 के अधिनियम के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के 11 साल बाद वित्तीय आयुक्त द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया था और लातूर सिंह के मामले (सुप्रा) में, फिर से समय की चूक 11 साल थी, अदालत ने कहा कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में इस असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए इसे उचित समय नहीं कहा जा सकता है। ऐसा ही परिणाम था जहां बुद्ध राम के मामले (सुप्रा) में सात साल बीत चुके थे।

22. उत्तरदाताओं के वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे उचित समय के भीतर इस असाधारण शक्ति के प्रयोग के पहलू पर भी जोर देते हैं, हालांकि, यह देखा गया कि उचित समय की लंबाई मामले के तथ्यों और संशोधित किए जा रहे आदेश की प्रकृति से निर्धारित की जाएगी। हालांकि, यह देखा गया है कि न्यायालय में की गई धोखाधड़ी के मामले में, देरी का कोई परिणाम नहीं होगा और न ही केवल समय की लंबाई जिसके लिए धोखाधड़ी आदेश लागू रहता है, से फर्क पड़ेगा। यह इसे कानूनी या अभेद्य आदेश में नहीं बदलेगा। इन सबमिशन के समर्थन में, ***एसपी चंगलवर्या नायडू (मृत)*** *बनाम* ***जगन नाथ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था,***[9] जहां यह माना गया है कि धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय और डिक्री को कानून की नजर में शून्य और अमान्य माना जाएगा । राम प्रताप (सुप्रा) के मामले में भी यही स्थिति थी, जहां फिर से वित्तीय आयुक्त ने अदालत में धोखाधड़ी के संबंध में एक विशिष्ट निष्कर्ष दिया है। इन परिस्थितियों में, इन उपरोक्त दो मामलों में क्रमशः 18 साल और 20 साल की देरी होने के बावजूद, अदालत ने आक्षेपित आदेशों को बरकरार रखा था।

23. उपर्युक्त के मद्देनजर, कानून के स्थापित प्रस्ताव, इसलिए, यह बताने के लिए तैयार किया जा सकता है कि धारा 18 (6) के तहत वित्तीय आयुक्त को प्रदत्त शक्ति, हालांकि ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए अवधि के संबंध में किसी भी सीमा द्वारा शासित नहीं है, लेकिन इसे न तो अबाध कहा जा सकता है और न ही बिना किसी बाधा के, जैसा कि वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश को तथ्यों में प्रतिबिंबित और औचित्य देना चाहिए, और विशेष मामले की परिस्थितियाँ ऐसी शक्तियों का प्रयोग। ऐसे

---

[8] एआईआर 1969 एससी 1297
[9] एआईआर 1994 एससी 853

मामले में, जहां किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने की तारीख से लंबी अवधि के अंतराल के बाद वित्तीय आयुक्त द्वारा शक्ति का प्रयोग करने का इरादा है, न केवल क्षेत्राधिकार या योग्यता के पहलू पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के कारण दिए जाएं, बल्कि समय के व्यपगत पहलू पर, इसके प्रभाव/परिणाम और इसकी अनदेखी/अनदेखी क्यों की जा रही है, इस पर विचार करने और आदेश में परिलक्षित करने की आवश्यकता है, खासकर तब जब निजी पार्टियों के अधिकार शामिल हों। हालांकि, उन मामलों के संबंध में, जहां धोखाधड़ी अदालत में खेली गई है और वित्तीय आयुक्त द्वारा उस प्रभाव का निष्कर्ष दर्ज किया गया है, वहां कोई सीमा नहीं होगी।

24. अब समय आ गया है कि हरियाणा के वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 12.09.1997 और 10.03.1999 के आदेशों पर विचार किया जाए कि क्या 1972 अधिनियम की धारा 18 (6) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग न्यायालयों द्वारा निर्धारित कानूनी मापदंडों और उचित समय के भीतर किया गया है या नहीं।

25. तथ्य, जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, विवाद में नहीं हैं। पुनरावृत्ति से बचने के लिए इसके ब्यौरे यहां नहीं दिए जा रहे हैं। दिनांक 26.07.1961 को कलेक्टर, कृषि, अधिशेष क्षेत्र, सिरसा ने पटराम के संबंध में एक आदेश पारित किया जिसमें यह आकलन किया गया कि उसके पास अनुमेय क्षेत्र से अधिक 62.32 मानक एकड़ भूमि है और तदनुसार उसे अधिशेष क्षेत्र घोषित किया गया था। पट राम द्वारा पसंद किए गए उक्त आदेश के खिलाफ अपील 24.07.1962 को खारिज कर दी गई थी क्योंकि पंजाब भूमि कार्यकाल की सुरक्षा (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1962 के मद्देनजर दबाव नहीं डाला गया था। यद्यपि पट राम के रूप में दिनांक 26.07.1961 के मूल्यांकन के आदेश को अंतिम रूप दिया जा सकता है, हालांकि, इसे नहीं रखा जाना था क्योंकि गुरदित सिंह के बेटों बिशन सिंह और दलीप सिंह द्वारा दो अपीलें पसंद की गई थीं, जो पट राम के तहत किरायेदार थे और उन्होंने दिनांक 26.07.1961 के आदेश को चुनौती दी थी। इन अपीलों को आयुक्त, अंबाला मंडल, अंबाला द्वारा दिनांक 19.01.1966 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसमें अधिशेष क्षेत्र के पुनर्मूल्यांकन के लिए पाट राम के अधिशेष क्षेत्र के मामले को कलेक्टर को भेज दिया गया था और पक्षकारों को अवसर देकर इसका निर्णय लिया गया था। 07.02.1966 को पत राम की मृत्यु हो गई, जिससे उनके छह बेटों को विरासत मिली। आयुक्त, अंबाला डिवीजन, अंबाला, अंबाला, विशेष

कलेक्टर, हरियाणा, हिसार में कैंप कार्यालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1966 के अनुपालन में, जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए भूस्वामी पाट राम का मामला खोला था, पट राम के अधिशेष क्षेत्र के मामले को उनकी मृत्यु के मद्देनजर रिकॉर्ड में भेज दिया और कलेक्टर, कृषि, सिरसा को पैट राम के उत्तराधिकारियों के खिलाफ नए सिरे से कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।

26. यहां यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि यह आदेश दिनांक 15.07.1969 को किरायेदारों गुरदित सिंह के बेटों बिशन सिंह और दलीप सिंह की उपस्थिति में पारित किया गया था। विशेष कलेक्टर के उक्त आदेश को चुनौती देने के लिए किरायेदारों या राज्य द्वारा कोई अपील या पुनरीक्षण दायर नहीं किया गया था और इस प्रकार, इसे तब तक अंतिम रूप दिया गया जब तक कि इसे लगभग 24 वर्षों के बाद वित्तीय आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण दायर करके चुनौती नहीं दी गई। (ग) दिनांक 29-06-1993 को 1992-93 के आरओआर सं 528 में एक परिपत्र सं 1992-93 में एक अधिसूचना जारी की गई थी। उक्त आदेश को चुनौती देने में 24 साल की असाधारण देरी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जब अपील और पुनरीक्षण के वैधानिक उपाय का लाभ यहां निजी उत्तरदाताओं द्वारा नहीं उठाया गया था, जो बिशन सिंह-किरायेदार के कानूनी उत्तराधिकारी हैं।

27. इसी तरह की स्थिति बाद की कार्यवाही के संबंध में है, जो 1972 के अधिनियम की धारा 9 के तहत 16.08.1976 को प्रस्तुत घोषणा पत्र में पट राम के बेटों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप सोहन लाल, बृजलाल और हजारी लाल के आदेश दिनांक 20.07.1977 (अनुबंध पी-5 से पी-7) और आदेश दिनांक 09.08.1977 बनाम धोंकल राम और आदेश दिनांक 27.04.1995 (अनुबंध पी-9 और पी-10) अर्को अमी (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री लाल लाल और शंकर लाल के मामले में एक मामले में यह निर्णय दिया था कि 1972 के अधिनियम के अंतर्गत उनके पास कोई अतिरिक्त क्षेत्र नहीं है। इसलिए, इन आदेशों को लगभग 16 वर्षों की अवधि के बाद 1977 के आदेशों के संबंध में चुनौती दी गई थी।

28. इन आदेशों के संबंध में उनके पक्ष में पारित किए जाने के संबंध में पहलू निजी उत्तरदाताओं को ज्ञात था जैसा कि स्पष्ट है कि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उक्त घोषणा के अनुसरण में है जिसमें उन्हें छोटे भूस्वामी के रूप में माना गया है कि फॉर्म K-1 में निजी उत्तरदाताओं के

खिलाफ बेदखली याचिका को प्राथमिकता दी गई थी। निजी उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं को छोटे भूस्वामी घोषित करने वाले उक्त आदेशों को चुनौती देने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए थे, जो उनके द्वारा नहीं किया गया था। 22.01.1992 को कलेक्टर, सिरसा द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद 16.10.1992 को बलबीर सिंह-प्रतिवादी की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने का आदेश पारित करने के बाद ही आयुक्त ने 28.08.1991 को सहायक कलेक्टर प्रथम ग्रेड, डबवाली द्वारा पारित निष्कासन के आदेश को चुनौती दी थी और 08.04.1993 को 1992-93 के आरओआर नंबर 381 को एक संशोधन यानी 1992-93 के आरओआर नंबर 381 को प्राथमिकता दी गई थी उपरोक्त संदर्भित पुनरीक्षण याचिकाएं दायर करके।

29. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश बहुत अपील योग्य थे और यहां तक कि उन आदेशों के खिलाफ संशोधन भी बनाए रखने योग्य थे, लेकिन निजी उत्तरदाताओं ने उक्त आदेशों को चुनौती नहीं देना पसंद किया। यह देर से ही सही चरण में है और वह भी तब जब उन्होंने पाया कि सितम्बर, 1991 में निष्पादन की कार्यवाहियों में उनका कब्जा पहले ही समाप्त हो चुका है, दिनांक 15-07-1969 और 20-07-1997 के आदेशों को चुनौती देने का सहारा लिया गया है। यह अपने आप में निजी उत्तरदाताओं के आचरण के संबंध में संदेह पैदा करता है। विद्वान वित्तीय आयुक्त ने इस पहलू पर विचार नहीं किया है और न ही इस तरह के असाधारण देरी के बाद 1972 अधिनियम की धारा 18 (6) के तहत प्रदत्त इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए किसी असाधारण स्थिति की ओर इशारा किया है।

30. रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं आया है, जो इंगित करेगा कि याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा भूमि धारण अधिनियम, 1972 की धारा 9 के तहत दिनांक 16.08.1976 को आवेदन दायर करते समय शुरू में अशुद्ध हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वित्तीय आयुक्त ने दिनांक 12-09-1997 और 10-03-1999 (अनुबंध पी-15 और पी-19) के आक्षेपित आदेशों को पारित करते समय इस आशय का कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं निकाला गया है जिससे यह पता चले कि तथ्यों को छिपाया गया है या इस विलम्बित चरण में वित्तीय आयुक्त की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए राज्य के साथ धोखाधड़ी की गई है।

31. उपर्युक्त के आलोक में, विशेष रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, मुझे

वित्तीय आयुक्त की ओर से 1972 के अधिनियम की धारा 18(6) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं लगता है, जिसमें इस विलम्बित चरण में दिनांक 15.07.1969 और 20.07.1977 के आदेशों को रद्द कर दिया गया है।

32. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि दिनांक 15.07.1969 और 20.07.1977 के आदेशों को वित्तीय आयुक्त द्वारा गलत तरीके से रद्द कर दिया गया है, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के पास उनके पक्ष में इस आशय के आदेश हैं कि उनकी भूमि जोत अनुमेय सीमा के भीतर आती है और इसलिए, वे बड़े भूस्वामी नहीं हैं। यदि ऐसा है, तो सहायक कलेक्टर प्रथम ग्रेड, डबवाली द्वारा पारित बेदखली का आदेश, दिनांक 28.08.1991 (अनुलग्नक पी-12) निजी उत्तरदाताओं को बेदखल करने के लिए फॉर्म के-1 में याचिकाकर्ताओं के आवेदन की अनुमति देने के लिए गलत नहीं ठहराया जा सकता है, खासकर इस तथ्य के आलोक में कि बलबीर सिंह के दादा श्री बिशन सिंह को पहले ही 80 *कनाल* आवंटित किया जा चुका थाअधिशेष पूल से भूमि की 1000 किमी, जो निजी उत्तरदाताओं द्वारा सामूहिक रूप से विरासत में मिली है और यह अकेले विचाराधीन भूमि से अधिक है अर्थात 73 *कनाल* 6 *मरला,* जिसका आवंटन वे अधिशेष पूल से हकदार नहीं हैं, जिसे अपील के साथ-साथ संशोधन में भी बरकरार रखा गया है, जिसे निजी उत्तरदाताओं द्वारा पसंद किया गया है।

33. यहां यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि सहायक कलेक्टर प्रथम ग्रेड, डबवाली, जिला सिरसा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड अधिकारी (सिविल) द्वारा पारित निष्कासन दिनांक 28.08.1991 (अनुलग्नक पी-12) के आदेश, कलेक्टर, सिरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.1992 निजी प्रतिवादियों की अपील और आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 16.10.1992 (अनुलग्नक पी-14) के आदेश को खारिज करते हुए, निजी प्रतिवादियों की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए हिसार डिवीजन, कैंप सिरसा को वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 12.09.1997 और 10.03.1999 के आक्षेपित आदेश द्वारा केवल इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि दिनांक 15.07.1969 (अनुबंध पी-4) के आदेश और दिनांक 20.07.1977 और 09.08.1977 (अनुबंध पी-5 से पी-7) के आदेश को 1972 अधिनियम की धारा 18(6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलग रखा गया है। जो बिना किसी अधिकार क्षेत्र के पाया गया हो ।

34. उपरोक्त के आलोक में, मामले के आगे के गुण-दोष पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, खासकर जब वित्तीय आयुक्त, हरियाणा द्वारा 1972 के अधिनियम की धारा 18 (6) के तहत प्रयोग की गई शक्ति को अधिकार क्षेत्र के बिना और कानून में अस्थिर पाया गया है।

35. नतीजतन, इन वर्तमान रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है।

36. वित्तीय आयुक्त, हरियाणा द्वारा पारित दिनांक 12.09.1997 और 10.03.1999 के आक्षेपित आदेशों को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी